केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Min. of Education, Govt. of India)
18-संस्थागतक्षेत्र / 18-Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली– 110016 / New Delhi – 110016
Tel: 26858570, Fax No. 011-26514179
www.kvsangathan.nic.in
E-mail ID- dcsportscellkvshq@gmail.com

F. No. 110355/01/2024-25/KVS(HQ)/Sports/SGFI Coaching Camp/3832-3834 **Date:- 07.11.2024**

उपायुक्त, **ई-मेल केवल**

केन्द्रीय विद्यालय संगठन,

समस्त संभाग

विषय:- **Provision for exemption from KVS National Coaching Camp to selected Students of Athletics & Swimming (Individual Events) before participation in National School Games (SGFI) के संदर्भ में -**

महोदया / महोदय,

In continuation with KVS(HQ) letter F. No. 110355/01/2024-25/KVS(HQ)/ Sports/SGFI National Coaching Camp/3598-3600/ Dated: 07/10/2024, it is informed that exemption from KVS National Coaching Camp may be given to selected players of Athletics and Swimming / Diving who are selected for Individual events only (Not for relay/team events). The Deputy Commissioner of the concerned Region can give exemption from attending the Coaching Camp by following the guidelines given below:-

1. Parent will hand over their ward to the Escort/Manager / Coach at the Coaching venue of SGFI one day before of reporting date of SGFI Meet.
2. Parent has to produce a letter from the club/ Academy or the Coach that he/she is undergoing training from a recognised Club /Academy or Coach.
3. All those participants who are asking for exemption from National Coaching Camp of SGFI will not be claimed to participate in relay/ team events of Athletics/Swimming only.
4. Parent will bear the expenditures for TO & Fro journey (From KV concerned to Venue & Back) / DA of their ward.
5. Parent will be fully responsible for the safety and security of their ward and will not hold KVS responsible for any untoward incident if happens during the journey period.
6. The participant will stay at the Coaching venue with the team Escort /Manager/Coach after he/she is handed over by the Parent. No child will be allowed to stay with parents during the SGFI Meet.
7. Details of Student for online registration to be provided to the Principal of Coaching Venue by the respective KV through RSC.
8. Request for exemption from Coaching Camp should be applied 15 days prior from Reporting dates at Coaching Venue only.
9. Parent is not allowed to stay at Coaching venue with their ward.

Further, it is requested to circulate this letter to all Kendriya Vidyalayas under your jurisdiction for information.

This letter is issued with the approval of the Competent Authority.

भवदीय,

मनोज कुमार पाण्डेय 07/11/2024

(मनोज कुमार पाण्डेय)

सहायक आयुक्त (ईडीपी एवं खेलकूद)

संलग्न: यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक एवं खेलकूद.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Min. of Education, Govt. of India)
18-संस्थागतक्षेत्र / 18-Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली– 110016 / New Delhi – 110016
Tel: 26858570, Fax No. 011-26514179
www.kvsangathan.nic.in
E-mail ID-dcsportscellkvshq@gmail.com

F. No. 110355/01/2024-25/KVS(HQ)/Sports/SGFI-National Coaching Camp, 3598-3600 Date:- 07.10.2024

अति-आवश्यक

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त संभाग

ई–मेल केवल

विषय: **Conduct of National Coaching Camp for the participation of KVS National team under "MISSION SGFI" for Target to Achieve 100 + Medals in 68th NSG (SGFI) Championship** के संबंध में.

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं मुख्यालय के पत्र **F. No. 110355/01/2024-25/KVS(HQ)/Sports/ Training & Coaching Camp/3059-3062/ Dated:07.05.2024** के क्रम में आपको अवगत हो कि 68वीं राष्ट्रीय शालेय खेलकूद(National School Games), प्रतियोगिता, 2024-25 के अन्तर्गत आयोजन प्रारम्भ हो चुके है जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की चयनित राष्ट्रीय दलों / खिलाड़ियों की प्रतिभागिता से पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन SGFI प्रतियोगिता स्थल के निकटतम केंद्रीय विद्यालयों में संभन्धित संभाग के निर्देशन एवं देखरेख में किया जा रहा है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित **"MISSION SGFI" for Target to Achieve 100 + Medals in 68th NSG (SGFI) Championship,** 2024-25 के अंतर्गत आगामी समस्त राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के व्यवस्थित आयोजन एवं सफल प्रतिभागिता हेतु निम्नलिखित विन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

1. चयनित खिलाड़ियों (छात्र-छात्राओं) की शत-प्रतिशत प्रतिभागिता जरूरी हो।
2. प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतिभागिता के दौरान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों/ प्रबन्धकों के ठहरने, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं यातायात की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
3. प्रशिक्षण शिविर के लिए आवश्यक एवं उचित खेल पोशाक, खेल उपकरण, खेल मैदान (उच्चस्तरीय मापदण्ड के अनुरूप) की व्यवस्था यथासमय की जाये।
4. प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षक (अतिरिक्त) की नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाये ।
5. प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों के सहयोग/सहायता हेतु संबन्धित विद्यालय के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किया जाये।
6. केविसं राष्ट्रीय टीम में चयनित खिलाड़ियों (छात्र-छात्राओं) को विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण से पूर्व (विद्यालय समय से पूर्व अथवा उपरांत) विशेष प्रशिक्षण / कौशल मार्गदर्शन हेतु प्रशिक्षकों (Out Source) को नियुक्त किया जा सकता है, इसका व्यय PM SHRI Scheme (जैसे : प्रशिक्षक मेहनताना एवं खिलाड़ियों को स्वल्पाहार) के अंतर्गत आवंटित धनराशि से किया जा सकता है ।
7. राष्ट्रीय/विद्यालय स्तर पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण/कौशल मार्गदर्शन देख-रेख संबन्धित प्राचार्य/सहायक आयुक्त द्वारा की जाये एवं इसकी आख्या/प्रतिवेदन/जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय को (मोबाइल के माध्यम) साझा की जाये।

भवदीय,

पी. देवकुमार

(डॉ. पी. देवकुमार)
संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक एवं खेलकूद)
07.10.24

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केविस (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सहायक आयुक्त(ईडीपी एवं खेलकूद), केविस (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ।